DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with B+ Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G.)
Ph. : 07753-253 801 Fax : 07753-253728
e-mail : info@cvru.ac.in, visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.111 / कु.स. / सी.वी.आर.यू. / 2021 बिलासपुर, दिनांक : 08.11.2021

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
छत्तीसगढ़ शासन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय का माह अक्टूबर – 2021 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय द्वारा माह अक्टूबर – 2021 का मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

कुलसचिव

डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय

करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

मासिक प्रगति पत्रक

माह :– अक्टूबर – 2021

01	विश्वविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष।	डॉ. सी. वी. रामन् वि. वि., स्थापना वर्ष नवम्बर 2006,
02	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी।	फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी बी. ई. (कम्प्यूटर साईस) बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन) बी. ई. (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) बी. ई. (इलेक्ट्रिकल) बी. ई. (मेकनिकल) बी. ई. (सिविल) बी. वोक. (वोकेशनल) एम. टेक. (कम्प्यूटर साईस) एम. टेक. (डिजीटल कम्यूनिकेशन) एम. टेक. (प्रोडक्शन इंजी.) एम. टेक. (पावर सिस्टम) एम. टेक. (साफटवेयर इंजी.) एम. टेक. (वी.एल.एस.आई.) डिप्लोमा (सिविल इंजी.) डिप्लोमा (कम्प्यूटर साईस) डिप्लोमा (ईई) डिप्लोमा (मेकनिकल इंजी.) फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.) मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम. एड.) बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (बी.पी.ई.एस.) मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (एम.पी.ई.एस.)

		<u>फैकल्टी ऑफ वाणिज्य एवं प्रबंधन</u> बैचलर ऑफ कामर्स (बी. काम.) मास्टर ऑफ कामर्स (एम. काम.) मास्टर ऑफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम. बी.ए.) बैचलर ऑफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी. बी.ए.) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजिनेस मैनेजमेंट (पीजीडीबीएम) <u>फैकल्टी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी</u> डी.सी.ए. (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) पीजीडीसीए. (पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) बी.सी.ए. (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस) एम.एस.सी. (आई. टी.) <u>फैकल्टी ऑफ आर्ट्स</u> बी. ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स) एम. ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) बी. लिब. एम. लिब. एम. एस. डब्ल्यू. <u>फैकल्टी ऑफ जरनेलिज्म एण्ड मास कामुनिकेशन</u> बी. जे. एम. सी. एम. जे. एम. सी. <u>फैकल्टी ऑफ साईंस</u> बी. एस. सी. (जीव.) बी. एस. सी. (गणित) बी. एस. सी. (कम्प्यूटर साईंस) एम. एस. सी. (गणित) एम. एस. सी. (भौतिकी) एम. एस. सी. (प्राणी शास्त्र) एम. एस. सी. (वनस्पति शास्त्र) एम. एस. सी. (रसायन) एम. एस. सी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान) एम. एस. सी. (जैव प्रौद्योगिकी) एम. एस. सी. (ग्रामीण प्रौद्योगिकी)

		फैकल्टी ऑफ लॉ बी.ए.एल.एल.बी बी.काम.एल.एल.बी एल.एल.बी. एल.एल.एम. फैकल्टी ऑफ फार्मेसी बी. फार्मा डी. फार्मा शोध पाठ्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम
03	क्याविश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विनियामक इकाईयों के द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति।	हॉ, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये संबंधित विनियामक इकाईयों के द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
04	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं (भवन, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, खेल मैदान,फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सुविधायें।)	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें पर्याप्त है।
05	क्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें संचालित पाठ्यक्रमों के अनुरूप हैं?	उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, पाठ्यक्रमों के अनुरूप है। नए उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। नया फर्नीचर एवं लाईब्रेरी के लिये पुस्तकों इत्यादि का क्रय भी किया जा चुका हैं। नवीन आवश्यकतानुसार क्रय किया जाता है।
06	विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों की जानकारी।	विश्वविद्यालय में 16 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है।
07	विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक।	विश्वविद्यालय में 16 विभाग संचालित है, जिसमे शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के

		आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है। विभाग में छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
08	क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है?	शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई है एवं मापदंडो के अनुरूप है।
09	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है ?	शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है, एवं छात्रों की संख्या के अनुसार है।
10	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के लिए परिनियम/अध्यादेश का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।	परिनियम एवं अध्यादेश विधिवत् अनुमोदित है एवं माननीय आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर निम्न ईकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें अंतर्गत शासी निकाय, प्रबंध मंडल एवं अकाद्मिक कांऊसिल का गठन किया गया है, जिसमें प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर अपग्रेड किया जाता है, तथा उच्च कोटि के लैब, लाईब्रेरी का निर्माण पाठ्यक्रमानुसार किया गया है। प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर शोध कार्य हेतु सेमीनार, वर्कशाप एवं फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जाता है।
11	क्या विनियामक आयोग/शासन के द्वारा निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो निरीक्षण में पाई गई कमियां तथा कमियों को दूर करने के लिये विश्वविद्यालय को दिये गये निर्देश, क्या विश्वविद्यालय द्वारा शासन/विनियामक आयोग के निर्देशों का पालन किया गया है?	हॉ, माननीय आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 10.04.2019 को किया गया था। माननीय आयोग के निर्देशों का पालन नियमानुसार किया जा रहा है।
12	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर संक्षिप्त	विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में

	प्रतिवेदन।	प्रवेश नियमानुसार एवं अध्यादेशों के अनुरूप प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा दी गई शुल्क द्वारा विश्वविद्यालय में अलग–अलग विभागों के लिये भवन, प्रयोशालाओं का निर्माण एवं उच्च कोटि के आधुनिक उपकरणों का क्रय, समस्त विभाग के अधिकारीगण, शिक्षकागण एवं कर्मचारियों के लिये फर्नीचर, ग्रंथालय में विभागानुसार पुस्तकों का क्रय एवं ग्रंथालय में छात्र–छात्राओं के लिये अध्ययन करने के लिये उच्च कोटि की व्यवस्था मापदण्डों के अनुरूप, आवागमन साधन एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऋण लिया गया है, विश्वविद्यालय की पितृ संस्था द्वारा भी विश्वविद्यालय को समय–समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति नियमानुसार नियमित रूप से है।
13	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी।	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
14	क्या शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क विद्यार्थियों से लिये जाते हैं? यदि हां तो उसका औचित्य।	अध्यादेशों के अनुरूप ही शुल्क लिया जाता है, अतिरिक्त शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है।
15	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम यूजीसी, एआईसीटीई या अन्य विनियामक इकाईयों के मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुरूप हैं?	विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम यूजीसी के अधिनियम 1956 की धारा (22) के अनुरूप है तथा एआईसीटीई, एनसीटीई, पीसीआई या अन्य विनियामक इकाईयों के अनुसार है एवं अनुमोदित है, जिसका निरीक्षण संबंधित इकाईयों

		द्वारा तथा आयोग द्वारा किया जा चुका है।
16	विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां।	— डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सांस्कृतिक छटा बिखेरता गुजरात विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात के धर्म, कला, संस्कृति, परिधान व्यंजन सहित वहां के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थलों के साथ वाणिज्य व्यापार सं संबंधित सभी जानकारियां साझा की गई। कार्यक्रम में गुजराती संस्कृति के गरबा सहित, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला, मटकी फोड़ लीला सहित कई गुजराती कार्यक्रम आयोजित किया गया। — डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में शत–प्रतिशत टीकाकरण हो गया है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी सहित कुल 455 स्टाफ ने कोविड–19 से बचाव के वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा ली है। इस दौरान विश्वविद्यालय कैंपस में बनाये गये कोविड–19 टीकाकरण केंद्र में 28 जनवरी 2021 से अब तक विश्वविद्यालय के अलावा अंचल के गांवों के 42 हजार 844 को टीकाकरण किया गया है। कोविड–19 के संक्रमण काल से विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा 4 कमरे का सर्वसुविधायुक्त पृथक भवन वैक्सीनेशन के लिये दिया गया है। अब तक आसपास के 50 से अधिक गांवों के लोगो का टीकाकरण लगभग जनवरी से

		आज तक के कुल 42 हजार 844 को टीकाकरण किया गया है।
		– डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय के इंजीनियिरिंग विभाग के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स के विद्यार्थी अप्रेटिसशिप डिग्री प्रोग्राम करेंगे और सीधे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुबंध किया है, इस अनुबंध के तहत विद्यार्थी 7–8 वें सेमेस्टर में अप्रेटिंसशिप बेस्ड डिग्री प्रोग्राम की स्पेशलाईजेशन पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे।
		– डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में प्राकृतिक उत्पादों से प्रसंस्करण कर हस्त निर्मित सामान तैयार किया जा रहा है। इसमें साबुन, फिनाईल, हैंडवाश, हल्दी उत्पादन एवं प्रसंस्करण, एलोवेरा जेल, सुगंधित तेल आदि सामान बड़ी मात्रा में शामिल है। विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रूरल टेक्लोलॉजी फार एंटर प्रेन्योरशिप के रूप में स्थापित किया गया है।
		– सत्र 2021–22 में शैक्षणिक गतिविधियॉ एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना। नवीन पाठ्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों का निर्माण करना।

17	विश्वविद्यालय के संचालन में आने वाली प्रशासनिक, अकाद्मिक एवं अन्य कठिनाईयों की जानकारी।	–	GAD के Circular में अभी तक विश्वविद्यालय का नाम समस्त विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

कुलसचिव